न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा.पत्र / 14(4) / 02 / 2012

1–रामस्वरुप आयु 75 वर्ष पुत्र श्री सुक्खी ।
2–तेजी आयु 60 वर्ष पुत्र श्री करनसिंह । जाति जाट निवासी ग्रांम रौनीजा
3–तुरसी आयु 68 वर्ष पुत्र श्री भंवर सिंह । तहसील नदबई जिला भरतपुर
4–जलसिंह आयु 36 वर्ष पुत्र श्री करन सिंह।

.....प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट निवासी ग्रांम रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

रेफरेन्स प्रार्थना अन्तर्गत नियम 14(3)(4) लैण्ड रेवेन्यू (भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) नियम खिलाफ आवंटन / नियमन आदेश आवंटन कमेटी तहसील नदबई जिला भरतपुर दिनांक 9.5.1985 खसरा नम्बर 247 मिन. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 297 / 1447 रकवा 0.38 है0 बाके ग्रांम रोनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थित :–
1–श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री सुघड़ सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 31.10.2025

प्रार्थी0 ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) विरुद्ध अप्रार्थी वखिलाफ आदेश आवंटन तारीखी 9.5.1985 आवंटन कमेटी नदबई द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 297 / 1447 रकवा 0.38 है0 किस्म भूमि पोखर ग्रांम रोनीजा तहसील नदबई, अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी की तलबी की गई। तहत पत्रावली आवंटन तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई के पत्रांक / कोर्ट / 2022 / 3498 / 172 दिनांक 30.11.2022 से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीबद्ध की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये तथा अप्रार्थी की ओर जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसका प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को ही बहस में शुमार किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 14(4) में मुख्यरूप से कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 297/1447 रकवा 0.38 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन पोखर है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है, विवादित आराजी पर आज भी मौके पर पोखर बनी हुई है। पोखर में पानी आने हेतु पानी बहाव के रुप में बना हुआ जिसमें होकर कृषि भूमि एवं गांव का वर्षाती पानी और नाले पर नाले का पानी पोखर में पहुंचता है इसमें गांव के मवेशी पानी पीने आते हैं तथा ये सार्वजनिक उपयोग में आती है। ऐसी भूमियों का आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है, नियम विरुद्ध किये गये आंवटन/नियमन दिनांक 9.5.85 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि आवंटन कमेटी नदबई ने दिनांक 9.5.85 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा हाल खसरा नम्बर 297/1447 रकवा 0.38 है0 का विधिवत नियमन किया गया है जिसमें आवंटन कमेटी ने कोई अनियमितता नहीं की है। विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर नहीं थी और ना हीं विवादित आराजी बहाव क्षेत्र में आती है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी काबिल काश्त भूमि थी जिसे आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन/नियमन किया गया है। अप्रार्थी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं इसलिये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्यों को अंकित किया है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी न तो सार्वनिक उपयोग की भूमि थी और न ही पोखर की भूमि थी, वक्त आवंटन विवादित आराजी खाली भूमि थी। विवादित आराजी के आवंटन के खिलाफ पूर्व में एक रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स उनवानी सरकार बनाम जगदीश भेजा हुआ है जो मण्डल में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र 14(4) काबिल खारिज के रहता है। प्रकरण, आवंटन आदेश के 27 साल बाद देरी से पेश किया गया है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों पर भली भांति मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 3.68 की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 ग्रांम रोनीजा गत आराजी खसरा नम्बर 179 मि.रकवा 01 बीघा 15 विस्वा, ख.न. 180 मी. रकबा 24 बीघा 4 विस्वा, ख.न. 275 मी. रकवा 1 विस्वा, 277 मी. रकवा 1 विस्वा हाल खसरा नम्बर 297 रकवा 3.68 बनाया गया है। मुताविक जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 ग्रांम रोनीजा में गत आराजी खसरा नम्बरान की भूमि गैर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

मुमकिन पोखर दर्ज है। तहत पत्रावली में शामिल नोटिस धारा 91 एलआरएक्ट तारीखी 30.12.92 जो कि नायब तहसीलदार नदबई ने अप्रार्थी को जारी किया गया है में भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 रकवा 15 बीघा 4 विस्वा की भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। यानि यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर है और अप्रार्थी द्वारा इस पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट किया जाना भी कथित नोटिस से स्पष्ट आता है।

पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 282 तारीखी 27.5.1985 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मी. रकवा के 1 बीघा 10 विस्वा पर नामान्तकरण के कालम संख्या 5 काश्तकार के कॉलम में सिवायचक दर्ज है, कॉलम संख्या 14–16 में हल्का पटवारी द्वारा इस प्रकार अंकन किया गया है :–

> ''..... नियमन दि0 9.5.85 उप जिलाधीश आदेश, कॉलम संख्या 16 में ''.....श्रीमानजी असल प्रमाण पत्र नियमन को देखकर दा.खा. दर्ज कर रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है.....।''

नामान्तकरण पर अंकित आदेश तहसीलदार नदबई से स्पष्ट है कि उपजिलाधीश भरतपुर के आदेश दिनांक 9.5.85 द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा का नियमन अप्रार्थी जगदीश पुत्र मूसरिया के हक मे किये जाने पर नामान्तकरण संख्या 282 दिनांक 27.5.85 को गैर खातेदारी का स्वीकार किया गया है। चूँकि विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर है पोखर का रकवा काफी बड़ा है, जिसमें से अप्रार्थी ने रकवा 1 बीघा 10 विस्वा पर अतिक्रमण किये जाने के उपरान्त अपने हक में नियम विरुद्ध नियमन कराया है। भूमि की किस्म बदलने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है, उपखण्डअधिकारी ने प्रचलित नियमों के विरुद्ध जाकर विवादित आराजी की भूमि किस्म पोखर को सिवायचक दर्ज कर अप्रार्थी जगदीश पुत्र मूसरिया के हक में दिनांक 9.5.85 को नियमन किया गया है जो सर्वथा अनुचित है, ऐसे आदेश को किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थी का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी पोखर नहीं है, अप्रार्थी का यह मौखिक कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता क्योंकि अप्रार्थी ने अपने मौखिक कथनों की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी (राजस्व रिकार्ड) पेश नहीं किया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह तर्क कि इसी विवादित आराजी को लेकर राजस्व मण्डल अजमेर में पूर्व में रेफरेन्स भेजा हुआ है जो राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने के कारण विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि पत्रावली में उपलब्ध सत्य प्रतिलिपि

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स उनवानी सरकार बनाम जगदीश संख्या 3/2012 आदेश तारीखी 13.6.2019 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है :–

> ".....प्रार्थना पत्र रेफरेस उपर्युक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि साविक खसरा नम्बर 297 रकवा 16 बीघा 14 विस्वा का नया खसरा नमबर 297/1447 रकवा 0.38 है0 गैर मुमकिन पोखर ग्रांम रौनीजा तहसील नदबई पर अवैध इन्द्राज कर खातेदारी एवं विरासत के नामान्तकरण संख्या 490 निरस्त किये जाकर विवादित आराजी को पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने एवं अप्रार्थीगण के नाम का राजस्व रिकार्ड में कलमजन किये जाकर पूर्व की भांति विवादित आराजी को गैर मुमकिन पोखर ग्रांम रौनीजा तहसील नदबई राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की आज्ञा दी जावे..... ।"

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि यह रेफरेन्स नामान्तकरण संख्या 490 निरस्त कराये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं। जब कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा अप्रार्थी के हक में आराजी खसरा नम्बर 247मि. रकवा 1 बीघा 10 विस्वा ग्रांम रोनीजा के किये गये नियमन आदेश दिनांक 9.5.85 एवं उसके आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या 282 तारीखी 27.5.85 को निरस्त कराये जाने बाबत है। रेफरेन्स एवं प्रार्थना पत्र 14(4) में चाही गई रिलीफ पृथक पृथक है।

विवादित भूमि गैर मुमकिन पोखर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि का किसी भी प्रकार से आंबटन नियमन या किसी की खातेदारी नहीं दी सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ – 10 राज–6/2001/7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है चारागाह भूमियों/जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में भी ऐसी भूमियों पर अगर खातेदारी दे दी गई है तो वापिस पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की व्यवस्था दी गई है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 247 मी. के रकवा 1 बीघा 10 विस्वा ग्रांम रोनीजा गैर मुमकिन पोखर है जिस पर नियम विरुद्व किया नियमन एवं उस पर किये गैर खातेदारी इन्द्राज को निरस्त किया जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का नियमन आदेश दिनांक 9.5.85 बाबत आराजी खसरा नम्बर 247 मी. रकवा 1 बीधा 10 विस्वा को निरस्त किया जाना एवं उसके आधार पर जगदीश पुत्र मूसरिया

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाति जाट के हक में गैरखातेदारी का स्वीकार किया गया नामान्तकरण संख्या 282 तारीखी 27.5.85 ग्राम रोनीजा तहसील नदबई नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज योग्य रहता है। गलत आदेश को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसर प्रार्थी प्रार्थनापत्र आवंटन नियम 14(4) स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का नियमन आदेश दिनांक 9.5.85 बाबत आराजी खसरा नम्बर 247 मी. रकवा 1 बीधा 10 विस्वा को निरस्त किया जाता है एवं उसके आधार पर जगदीश पुत्र मूसरिया जाति जाट के हक में स्वीकार किये गये गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 282 तारीखी 27.5.85 ग्रांम रोनीजा तहसील नदबई निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी को पूर्वत गैर मुमकिन पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर